

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २४३] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर ३१, १९७२/कार्तिक ९, १८९४
No. 243] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 1972/KARTIKA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह छलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st October 1972

SUBJECT.—Import of "Dates" [S. No. 21(b)/IV] from Iraq during September, 1971—August, 1972 licensing period on annual basis—Extension in the validity period.

No. 156-ITC(PN)/72.—Attention of Importers is invited to paragraph 2 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 94-ITC(PN)/72, dated 30th June, 1972, according to which the validity period of unutilized/partially utilized licences issued for import of "Dates" from Iraq for the period September, 1971—August, 1972 was extended upto 30th September, 1972.

2. On a review of the position it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences for import of "Dates" from Iraq issued during September, 1971—August, 1972 period, may be deemed to have been extended upto the 31st December, 1972. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The Customs authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

M. M. SEN.

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1972

विषय : वार्षिक आधार पर सितम्बर, 1971—अगस्त, 1972 लाइसेंस अवधि के दौरान ईराक से “खजूरों” [क्रम संख्या : 21(बी)/4] का आयात-वैधता अवधि में वृद्धि।

संख्या 156—आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—आयातकों का ध्यान विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 94—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 30 जन, 1972 के पैरा 2 की ओर दिलाया जाता है, जिस के अनुसार सितम्बर, 1971—अगस्त, 1972 अवधि के लिए ईराक से “खजूरों” के आयात के लिए जारी किए गए बिना उपयोग किए गए / आंशिक उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 1972 तक बढ़ाई गई थी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि सितम्बर, 1971—अगस्त, 1972 अवधि के दौरान ईराक से “खजूरों” के आयात के लिए जारी किए गए बिना उपयोग किए गए / आंशिक उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 1972 तक बढ़ाई गई समझी जाए /इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंसों पर पृष्ठांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आयात अन्य सब बातों में उचित होंगे, तो सीमा-शुल्क प्राधिकारी प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर माल की निकासी की अनुमति देंगे।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।